न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/2665/2006/करौली

1– प्रकाश पिसरान रामस्वरूप

2– पुरषोत्तम पिसरान रामस्वरूप

3– विनोद पिसरान रामस्वरूप

4– हरी पिसरान रामस्वरूप

5– सतीश पिसरान रामस्वरूप

6– चन्द्राबाई पुत्री रामस्वरूप

7– नन्दकिशोर पुत्र रामहेत मृतक जरिए वारिसानः–

7/1– बादाम बैवा नन्दकिशोर

7/2– रामबाबू पुत्र नन्दकिशोर

7/3– कुन्जबिहारी पुत्र नन्दकिशोर

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी धोरेटा तहसील मण्डरायल, जिला करौली।

8– किरोड़ी पुत्र रामहेत

9– मांगीलाल पुत्र रामहेत

10– बद्रीप्रसाद पुत्र हरगोविन्द

समस्त जातियान ब्राह्मण निवासीयान धोरेटा, तहसील मण्डरायल जिला करौली।

–अपीलांटस

बनाम

1– श्रीनिवास पुत्र प्रभुलाल

2– रामनिवास पुत्र प्रभुलाल

3– कल्याण पुत्र प्रभुलाल

4– चन्द्रकांत पुत्र भौरया मृतक जरिए वारिसानः–

4/1– मु. कटोरी बैवा चन्द्रकांत

4/2– वलहरी पिसरान चन्द्रकांत

4/3– निरंजन पिसरान चन्द्रकांत

4/4– बंटी पिसरान चन्द्रकांत

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी धोरेटा, तहसील मण्डरायल, जिला करौली।

5— गंगोली पुत्र भौरया

6— हरविलास पुत्र भौरया

7— हजारीलाल पुत्र भौरया

8— मीरा बेवा गणेश

9— बजरंग पुत्र गणेश (नाबालिग) जरिए संरक्षक माता मीरा समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम धोरेटा, तहसील मण्डरायल, जिला करौली।

10— राजस्थान सरकार।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलांटस।

श्री अशोक अग्रवाल एवं श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2024

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 158/2005 उनवानी श्रीनिवास व अन्य बनाम प्रकाश व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, मण्डरायल के न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा अंतर्गत धारा 188, 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाकै ग्राम धोरेटा में आराजीयात खसरा संख्या 475, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483 कुल किता 9 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा हम वादीगण

व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के शामलाती कब्जे काश्त की आराजी है। देवलाल पुत्र बंशी ला औलाद फौत हो गया जिसकी विरासत के आधार पर नामांतकरण संख्या 313 दिनांक 28.02.86 को वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में तस्दीक हो चुका है। आराजी मुतनाजा में वादी संख्या 1 व 2 का 3/16 हिस्सा है तथा वादी संख्या 3, 4, 5 का 3/16 हिस्सा है। प्रतिवादीगण जबरन उक्त आराजी वादीगण से छीनना चाहते है। अतः वादीगण ने उक्त दावा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने तथा वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर वादी द्वारा अपने दावे में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.10.2005 द्वारा वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की।

विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04. 2006 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए वाकै ग्राम धोरेटा की वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण/रेस्पो0 के अंकन कलमजन कर अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर कथन किया अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय को आदेश 41 नियम 31 के अनुसरण में प्रत्येक तनकी पर तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था,

यदि अपीलीय न्यायालय के द्वारा समवर्ती निर्णय भी दिया जा रहा है तो उसे प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित करना चाहिए परंतु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा न करके अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना कि जो मौखिक साक्ष्य हुई है उससे भी यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान के मध्य आराजी का पूर्व में बंटवारा हो चुका था। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बंटवारा केवलमात्र जरिए पंजीकृत दस्तावेज एवं न्यायालय की डिक्री के जरिए ही संभव है इसके अतिरिक्त मौखिक रूप से बंटवारा का कोई प्रावधान राज0काश्त0अधि0 में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। इसके विपरीत वादीगण के द्वारा प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 व नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2040–43 प्रस्तुत की थी जिसमें वादग्रस्त आराजी के बाबत् प्रभूलाल, भोरयालाल, बृजनारायण पुत्रगण हीरालाल बहिस्सा बराबर 5/16, देवीलाल पुत्र बंशी 1/2 हिस्सा, रामस्वरूप, जमनादास पि. अंगद 1/16 हिस्सा, नंदकिशोर, किरोड़ी, मांगीलाल पि. रामहेत 1/16 हिस्सा, बद्रीप्रसाद पुत्र हरगोविन्द का 1/16 हिस्सा अंकन है। इसके अतिरिक्त वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में यह तथ्य बताए कि यह कहना गलत है कि मैंने सेटलमेंट अधिकारियों से मिलकर जमाबंदियों में गलत इन्द्राज करवा लिया हो तथा गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण की जमीन को छीनना चाहता हूं तथा यह भी कहा कि कुंआ सामिलाती खुदा है तथा पाटोर को भी सामिलाती बताया है। इसके अतिरिक्त देवीलाल को उसकी जमीन के बाबत् प्रतिवादीगण के द्वारा दिए जाने के तथ्य को भी गलत बताया। जिससे यह सिद्ध होता है कि भूमि का पूर्व में बंटवारा नहीं हुआ था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। वादी के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किए है जिनको नजरअंदाज कर निर्णय पारित किए जाने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। तनकी संख्या 4 व 5 पूर्णतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध थी क्योंकि उक्त साक्ष्य से कहीं पर भी यह सिद्ध नहीं होता है कि सेटलमेंट से पूर्व वादी व प्रतिवादीगण के पिता के मध्य कोई आपसी सहमति से बंटवारा हुआ हो एवं 25 वर्ष पूर्व पुख्ता चाह प्रतिवादीगण के द्वारा बनवाया गया हो तथा कब्जा अकेले प्रतिवादीगण का हो। कब्जा मुखलफना के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तनकी संख्या 1, 2, 3 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था वादीगण के द्वारा अपनी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1, 2 व 4 तथा मौखिक साक्ष्य से यह पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया कि भूमि

सामिलाती है जिसमें वादीगण का वादपत्र में अंकित हिस्सानुसार हिस्सा है। अपीलीय न्यायालय के द्वारा साक्ष्यों के विपरीत जाकर संपूर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा माना गया। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सहखातेदारी की भूमि में एक सहखातेदार का कब्जा सभी खातेदारों का कब्जा माना जाता है तथा सहखातेदारी की भूमि एक खातेदार का कब्जा अन्य खातेदारों के कब्जे के विरूद्ध एडवर्स नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त तीनों तनकीयात वादीगण के द्वारा अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से पूर्ण सिद्ध की गई थी, जिसको विधि विरूद्ध तरीके से अपीलीय न्यायालय द्वारा वादीगण के विपरीत तय करने में त्रुटि कारित की है। प्रतिवादीगण के द्वारा कोई काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया था फिर भी अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर डिक्री में नए सिरे से संशोधन कर आराजीयात में वादीगण के नाम को कलमजन किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए गए, जबकि इस प्रकार का कोई अनुतोष बाबत् कोई काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं चाहा गया था। ऐसी स्थिति में जो अनुतोष नहीं मांगा गया हो उसके बाबत् किसी भी प्रकार का अनुतोष प्रदान करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2006 निरस्त किया जावें तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.2005 यथावत् रखा जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में 2021 डीएनजे पार्ट 1 एससी पेज 299, 2020 आरआरटी पार्ट 2 पेज 998, 2020 आरबीजे पेज 131 एचसी, 2011 आरआरटी पार्ट 2 पेज 721, 2022 लाईव लॉ सुप्रीम कोर्ट पेज 638, 2015 एआईआर सुप्रीम कोर्ट राज0 पेज 1342 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी रेस्पो0 के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा हमारे पूर्वज हीरालाल के समय से ही हम काबिज काश्त है। अपीलांट व रेस्पो0 की कुल भूमि रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा है और इसका व समस्त संपत्ति का बंटवारा हो कर सभी पृथक—पृथक रूप से काबिज काश्त है । देवलाल व रामगोपाल लाऔलाद थे और वे प्रतिवादी के पिता हीरालाल के साथ ही रहते थे । रामगोपाल व

देवीलाल के हिस्से की जमीन भी उनके समय ही बंट गई थी और देवीलाल ने अपनी रजामंदी से प्रतिवादी के पिता हीरालाल के साथ रहने से अपनी जमीन रेस्पो0 के हिस्से में रखते हुए शेष जमीन चार हिस्सों में बांट ली । वादी संख्या 6 अपने हिस्से से अधिक जमीन बंटवारे के समय ले चुका था । विवादित भूमि पर रेस्पो0 का ही कब्जा काश्त है । वादी ने बिना कब्जे के वाद पेश किया था जो चलने योग्य नहीं था । अपीलीय न्यायालय ने समस्त तनकीयात का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/वादीगण ने विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, मण्डरायल जिला करौली के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम धोरेटा, तहसील मण्डरायल जिला करौली अवस्थित आराजी खसरा नंबर 475, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483 कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की शामलाती कब्जे काश्त की आराजियात है । देवलाल पुत्र बंशी लाऔलाद फौत हो गया जिसकी विरासत के आधार पर नामांतकरण संख्या 313 दिनांक 28.02.1986 को वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में तस्दीक हो चुका है। आराजी मुतनाजा में वादी संख्या 1 व 2 का 3/16 हिस्सा है व वादी संख्या 3, 4, 5 का 3/16 हिस्सा है । प्रतिवादीगण की माली हालत बहुत अच्छी है तथा बड़ा परिवार है इस कारण लट्ठ के बल पर इस भूमि को प्रतिवादीगण हड़पना चाहते है । अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया जिस पर विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में कुल 7 तनकियात कायम की ।

विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 निम्न प्रकार कायम की कि–''आया विवादित आराजियात मुताबिक वादपत्र मद नं0 1 वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 3 की शामलाती खाते व कब्जे काश्त की भूमि है ?–– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था ।

8– तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने हेतु पी.डब्ल्यू0 1 बद्री प्रसाद के बयान कराये तथा प्रतिवादीगण ने डी.डब्ल्यू0 1 कल्याण व डी.डब्ल्यू0 2 रूपा के बयान कराये तथा प्रदर्श 1 पेश किया जिसके अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रभूलाल, भोरयालाल, वृजनारायण पिसरान हीरालाल 5/16 हिस्सा, देवलाल पुत्र बंशी हिस्सा 1/2, वादी संख्या 1 व 2 रामस्वरूप, जमनालाल पिता अंगद हिस्सा 1/16, वादी संख्या 3 लगायत 5 नंदकिशोर, किरोड़ी, मांगीलाल पिसरान रामहेत 1/16, वादी नंबर 6 बद्री प्रसाद पुत्र हरगोविन्द हिस्सा 1/16 दर्ज रिकार्ड है । प्रदर्श 2 नामांतकरण संख्या 313 के अनुसार देवलाल लाऔलाद फौत हो जाने के कारण उसका हिस्सा 1/2 की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में समभाग दर्ज हुई। अर्थात् देवलाल का नाम विलोपित होकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 5/16 के स्थान पर 7/16 तथा वादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/16 के स्थान पर 3/16, वादी संख्या 3 लगायत 5 का हिस्सा 1/16 के स्थान पर 3/16 व वादी संख्या 6 का हिस्सा 1/16 के स्थान पर 3/16 दर्ज किया गया है । उपरोक्त राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित कर वादीगण का वाद दिनांक 15.10.2005 को डिक्री किया था । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने दिनांक 24.04.2006 को निर्णय पारित कर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 15.10.2005 को निरस्त किया है । प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय ने अपना संपूर्ण निर्णय केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर पारित किया है जो प्रदर्श–1 दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत है। इस प्रकरण में प्रदर्श–2 नामांतकरण संख्या 313 दिनांक 28.02.1986 से यह

स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती आराजियात है । जिसके क्रम में विधिनुसार मौखिक साक्ष्य के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है । अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं ठहराया जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया गया था । ऐसी स्थिति में काउण्टर क्लेम के अभाव में अपीलीय न्यायालय को वादीगण के नाम को कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था तथा उनके द्वारा बिना तनकीवार अपना अभिमत प्रकट किए उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को निरस्त किया है जो विधि द्वारा स्थापित आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है।

9— प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद देवलाल पुत्र बंशी के हिस्से को लेकर है। राजस्व रिकार्ड एवं जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि देवलाल का हिस्सा जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 के खाता संख्या 94 के मुताबिक कुल 9 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा जमीन में 1/2 हिस्सा अंकित है। उसके लाऔलाद फौत होने पर नामांतकरण संख्या 313 दिनांक 28.02.1986 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। जिसमें देवलाल के पिता बंशी के भाई मदन के समस्त पुत्रों और उनके वारिसों को सम हिस्सा दिया गया है। नामांतकरण के पुस्त पर अंकित नोट के अवलोकन से नामांतकरण सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाने का अंकन स्पष्ट है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में अन–रजिस्टर्ड दस्तावेज, विक्रय पत्र के आधार पर जो विवेचन किया गया है, उसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। हिन्दू उत्तराधिकार कानून के परिपेक्ष्य में नामांतकरण भरा गया है, जिसमें कोई त्रुटि प्रत्यक्षतः प्रकट नहीं होती है। यदि रेस्पो0/प्रतिवादीगण को कोई उज्र एतराज था तो तत्समय उक्त नामांतकरण के विरूद्ध नियमानुसार चाराजोही उनके द्वारा की जानी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में समस्त तनकीयात पर विस्तार से दस्तावेजात के आधार पर विवेचन किया गया है, जो प्रकरण के दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में समुचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर केवल मात्र मौखिक

साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य पायी जाती है । वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर तत्समान रूप से चस्पा होते है ।

10— परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2006 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, मण्डरायल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 15.10.2005 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष